न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 01/2021

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये सुरेन्द्र भारती, प्रवर्तन निरीक्षक, छबड़ा जिला–बारां (राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री भगवती प्रसाद उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खोपर तहसील छबड़ा जिला बारां **(अप्रार्थी)**

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 13.09.2022

1– प्रार्थी श्री सुरेन्द्र भारती, प्रवर्तन निरीक्षक, छबड़ा ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर इल्क्ट्रोनिक कांटे में गड़बड़ कर कम दे रहा था गेंहू के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 20.10.2021 को मौके पर पहुंचकर शिकायत की जांच की गई। मौके पर श्री भगवती प्रसाद उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खोपर शिकायतकर्ता श्री गोकुल नागर पुत्र श्री कालूलाल नागर ब्लॉक उपाध्यक्ष कांग्रेस छबड़ा तथा 10–12 उपभोक्ता उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण 5616 किग्रा. गेंहू स्टॉक में अधिक पाया गया। जिसके संदर्भ में उचित मूल्य दुकानदार से पूछे जाने पर अवगत करवाया कि उनके द्वारा उपभोक्ताओं से पुनः गेंहू खरीद लिये जाते हैं। उकत गेंहू को मौके पर ही जब्त किया जाकर उसी पंचायत के अन्य डीलर श्री रामप्रसाद गोस्वामी को अभिरक्षा हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। अतः जब्त किये गये 5616 किग्रा. गेंहू मय बारदाना को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी मय अभिभाषक उपस्थित हुआ। परन्तु अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया तथा प्रार्थना पत्र बहाल करने [illegible] के शपथपत्र पेश किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ताओं के शपथपत्रों की छाया[illegible] जिला रसद अधिकारी, बारां को भिजवाकर संयुक्त जांच दल का गठन कर [illegible] रिपोर्ट चाही गई।

3– संयुक्त जांच दल की वस्तुस्थिति जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर [illegible] बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

4— बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्राप्त शिकायत की जांच में उचित मूल्य दुकानदार के स्टॉक में रेकार्ड से 5616 किग्रा. गेंहू भौतिक रूप से मौके पर ज्यादा पाया गया तथा जब्तशुदा गेंहू 5616 किग्रा. मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 5616 किग्रा. मय बारदाना को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रस्तुत शपथ पत्र उपभोक्ताओं का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि उपभोक्ताओं द्वारा अपना गेंहू ही उचित मूल्य दुकानदार की दुकान पर सुरक्षित रखवाया गया था जो उनके द्वारा उचित मूल्य दुकानदार से अब प्राप्त किया जाना था। परन्तु गेंहू उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त किये जाने से पूर्व से जब्तराज कर लिया गया। अतः अप्रार्थी की दुकान से जब्त किया गया 5616 किग्रा. गेंहू वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करें तथा यदि रसद कार्यालय द्वारा जब्तशुदा गेंहू की नीलामी से प्राप्त राशि अप्रार्थी को भुगतान किये जाने के आदेश फरमावें।

6— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, छबड़ा द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत के आधार पर निरीक्षण कर उचित मूल्य दुकानदार खोपर की दुकान पर स्टॉक में रेकार्ड से अधिक गेंहू पाये जाने पर 5616 किग्रा. गेंहू जब्तराज किया गया। पत्रावली में संलग्न जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी, बारां एवं उपभोक्ताओं के शपथ पत्रों से भी यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त गेंहू उपभोक्ताओं का था परन्तु उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त गेंहू अनाधिकृत तौर पर उचित मूल्य की दुकान पर रख रखा था। जिस पर प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेंहू 5616 किग्रा. मय बारदाना को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 5616 किग्रा. गेंहू मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:25 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)